सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 258 राँची, शुक्रवार, 22 मई, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

7 मई, 2026

संख्या :- 4/प्रोन्नति-201/2026 का. 2705--W.P.(S) No. 3340/2021- अखिलेश कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-01.08.2024 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

"12. Having regard to the aforesaid discussions, the enquiry report itself deserves to be, and, is hereby, quashed and set aside. Further, the disciplinary authority without application of mind has completely relied upon the enquiry report and passed the order of punishment; as such since this Court has already held that the enquiry report is not sustainable and is against the settled proposition of service jurisprudence and the law laid down by the Hon'ble Apex Court in several cases including the cases referred to hereinabove; the order of punishment is not sustainable in the eye of law; accordingly, the same is also quashed and set-aside.

It goes without saying that since the order of punishment is quashed and set aside, entire consequential benefits shall be extended to the petitioner as early as possible, but not beyond twelve weeks from the date of receipt/production of copy of this order.

13. As a result, the instant writ application stands allowed in the manner indicated hereinabove."

2. उक्त न्यायादेश के विरूद्ध राज्य सरकार की ओर से माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में LPA No. 127/2025- झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम अखिलेश कुमार दायर किया गया, जिसकी सुनवाई अबतक लम्बित है ।

3. वादी श्री अखिलेश कुमार द्वारा W.P.(S) No.- 3340/2021 में दिनांक-01.08.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु Contempt Case (C) No. 45/2025- अखिलेश कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया है, जिसमें माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-20.04.2026 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया है :-

"In spite of orders dated 02.05.2025 & 20.03.2026, neither any stay order has been placed before this Court nor the order has been complied, subject to final outcome of L.P.A.

2. Forced with this situation, this Court intends to issue Form-I; as such, issue notice to opposite party no. 2 under Rule 393 of the High Court of Jharkhand Rules, 2001 in Form-I as to why a contempt proceeding be not initiated against the opposite party no. 2 for which a reply shall be filed before the next date of hearing.

3. It goes without saying that if the order will be complied before the next date of hearing; then, the issuance of Form-I shall stand cancelled.

4. List this case on 15.05.2026."

4. विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-170 दिनांक-10.07.2012 द्वारा वादी श्री अखिलेश कुमार, तत्कालीन सहायक, गृह विभाग, झारखण्ड, राँची के विरूद्ध आदेश की अवहेलना, अनुमोदित प्रारूप में अन्तर्वेशन एवं संचिका में गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्ताव उपस्थापित करने के आरोप में निम्नांकित शास्ति अधिरोपित की गई थी :-

i) निन्दनः

ii) तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक ।

5. श्री कुमार द्वारा उक्त अधिरोपित शास्ति एवं अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश दिनांक-13.05.2013 के विरूद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद संख्या-W.P.(S) No.-5559/2014- अखिलेश कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य वाद दायर किया गया, जिसमें दिनांक-22.10.2018 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

"The short legal plea raised by the petitioner and taken note above, evidently stands substantiated on account of specific statements made by respondent no.-5. Non furnishing of inquiry report and second show cause notice has vitiated the departmental proceeding from that stage. Non service of report has also caused prejudice to the petitioner as he was not in a position to offer his reply to the proposed punishment though a major penalty has been imposed upon him. Therefore, on this ground alone impugned order dated 10th July, 2012 (Annexure-10) and appellate order dated 13th May, 2013 (Annexure-12) cannot be sustained in the eye of law. They are accordingly quashed. This Court has, however, not made any comments on the merits of the finding arrived at in the departmental enquiry. The disciplinary authority shall proceed from the stage of second show cause notice and take a final decision in the matter within a period of 12 weeks from the date of receipt of a copy of this order. The Disciplinary Authority shall furnish a copy of the enquiry report along with the second show cause to enable the petitioner to offer his reply thereupon. Petitioner shall cooperate in the matter. In case, he fails to cooperate, the Disciplinary Authority shall proceed to take a decision in the matter within the aforesaid period."

6. विभागीय आदेश संख्या-3245 दिनांक- 16.07.2021 द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के उक्त न्यायादेश के अनुपालन में श्री अखिलेश कुमार से की गई द्वितीय कारणपृच्छा, उक्त द्वितीय कारणपृच्छा पर उनके द्वारा समर्पित उत्तर एवं प्रशासी विभाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षोपरांत पुनः श्री कुमार के विरूद्ध निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया गया है :-

i) निन्दन की सजा ।

ii) तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक ।

7. श्री अखिलेश कुमार द्वारा उपर्युक्त शास्ति अधिरोपन आदेश को निरस्त किये जाने के साथ ही पूरे विभागीय कार्यवाही को निरस्त करने हेतु W.P.(S) No.- 3340/2021- अखिलेश कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया। जिसमें माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-01.08.2024 को पारित न्यायादेश द्वारा वादी के विरूद्ध अधिरोपित उक्त दण्डादेश को पुनः रद्द करते हुए सभी अनुमान्य लाभ प्रदान करने का निदेश दिया गया ।

8. विभागीय अधिसूचना संख्या-2181 दिनांक-13.04.2026 द्वारा उक्त W.P.(S) No.-3340/2021 एवं Contempt Case (C) No. 45/2025 में पारित आदेश के अनुपालन में श्री अखिलेश कुमार, तत्कालीन सहायक, गृह विभाग सम्प्रति अवर सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय), झारखण्ड, राँची के विरूद्ध विभागीय आदेश संख्या-3245 दिनांक-16.07.2021 द्वारा अधिरोपित दण्डादेश को निरस्त किया गया है ।

उक्त अधिसूचना द्वारा दण्ड विलोपन के फलस्वरूप श्री कुमार को LPA No. 127/2025 के अंतिम फलाफल के आधार पर सभी देय लाभ अनुमान्य किया गया है ।

9. श्री अखिलेश कुमार की वरीयता क्रमांक-692 है। उनसे कनीय श्री मधुकान्त त्रिपाठी (वरी०क्र0-693) को दिनांक- 01.11.2012 को प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई है ।

10. वर्णित तथ्यों, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित उपर्युक्त न्यायादेशों के अनुपालन तथा दिनांक-05.05.2026 को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में श्री अखिलेश कुमार, अवर सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय) को उनसे कनीय श्री मधुकान्त त्रिपाठी (वरी०क्र0-693) को दिनांक-01.11.2012 के प्रभाव से प्रशाखा पदाधिकारी (पी.बी.-II, पे. बैण्ड रू0 9300-34800/-, ग्रेड पे- रु0 4800, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-8) के पद पर दी गई प्रोन्नति की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

11. यह आदेश विभाग की ओर से दायर LPA No. 127/2025- झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम अखिलेश कुमार में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा ।

12. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

(ब्रज माधव),
सरकार के उप सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 258 - 50